भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2377

(08 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आंध्र प्रदेश में पीवीटीजी समुदायों के लिए पीएम-जनमन के तहत पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवास

2377 श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) वाले समुदायों के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत 42,000 आवासों को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक लाभार्थियों को कितने आवास प्रदान किए जा चुके हैं, जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कार्यान्वयन की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है क्योंकि मिशन अवधि 2026 में समाप्त होने वाली है; और

(ङ) यदि नहीं, तो प्रक्रिया में तेजी लाने और मिशन अवधि समाप्त होने से पहले लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (ग): देशभर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के कल्याण में भारी अंतर को दूर करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया गया है। पीएम -जनमन का उद्देश्य वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 3 वर्षों के लिए इस मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों

में 11 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लागू करना है। पीवीटीजी परिवारों के लिए पक्के आवास का प्रावधान पीएम -जनमन के तहत पहलों में से एक है , जिसे इस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश राज्य में स्वीकृत और पूर्ण हो चुके आवासों का जिलावार ब्यौरा (04.08.2025 तक) निम्नानुसार है:

क्र. सं.	जिले का नाम	राज्य द्वारा स्वीकृत आवास	पूर्ण हो चुके आवास
1	अल्लूरी सीताराम राजू	34,226	2,041
2	एलुरु	550	127
3	नांदयाल	556	9
4	पलनाडु	763	93
5	पार्वतीपुरम मन्यम	5,169	166
6	प्रकाशम	612	28
7	श्रीकाकुलम	1,534	19
8	विजयनगरम	183	37
	कुल	**43,593**	**2,520**

(घ) और (ङ): यह मंत्रालय 31 मार्च, 2026 तक 4.90 लाख पक्के आवासों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य के सापेक्ष , राज्यों द्वारा लाभार्थियों को कुल 4.67 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और 04.08.2025 तक 1.61 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा , मंत्रालय पीएम-जनमन के सुचारू कार्यान्वयन हेतु आवासों की निगरानी और आवास का निर्माण समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहल कर रहा है:

i. राज्यों को लक्ष्यों का समय पर आवंटन।
ii. आवाससॉफ्ट के माध्यम से आवास स्वीकृति और निर्माण पूरा होने की सूक्ष्म निगरानी।
iii. मंत्री/सचिव/उप महानिदेशक द्वारा नियमित समीक्षा।
iv. उच्च लक्ष्य वाले राज्यों की पृथक समीक्षा।
v. राज्यों को समय पर निधियां जारी करना तथा लाभार्थियों को निधियां जारी करने के लिए राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना।

vi. ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देना , ताकि गुणवत्तापूर्ण आवासों के तेजी से निर्माण के लिए प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्रियों का एक समूह उपलब्ध हो सके।

vii. पीएफएमएस समस्याओं सहित तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।

******